



मैनुअल स्कैवेंजिंग

प्रलिस के लयः

मैला ढोने/मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्यल से नपलटने हेतु पहलें, स्वच्छ भारत मशिन ।

मेन्स के लयः

हाथ से मैला ढोने की समस्यल, अनुसूचलतल जलतल, अनुसूचलतल जनजलतल से संबंढतल मुददे ।

चरूचल में क्युँ?

हलल ही में सलमलजकल न्यलत और अधकलरतल मंत्रललय दवलरल जलनकलरल सलड्डल की गई है कवलरूष 1993 से अब तक कुल 971 लुगुँ ने सीवर यल सेप्टकल टैक की सफलई के दुरलरन अपनी जलन गँवलई है ।

- इससे पहले केंदुरीय मंत्रमंडल दवलरल **रलषुदुरीय सफलई करमचलरल आडुग** (National Commission for Safai Karamcharis- NCSK) के कररुयकल कु 31 मलरूच, 2022 से आगे और तीन सलल बढुढने हेतु मंजुरी दी गई थी । इसके प्रमुख ललभलरुथी देश में सफलई करमचलरल और पहचलन कयल गए हलथ से मैला ढोने वलले/मैनुअल स्कैवेंजिंग के कररुय में संलगुन लुग हुँगे ।

प्रमुख बढुढ

मैनुअल स्कैवेंजिंग:

- मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) यल हलथ से मैला ढोने कु "सलरूवजनकल सडुकुँ और सूखे शुकललयुँ से मलनव मल कु हटलने, सेप्टकल टैक, नललयुँ एवं सीवर की सफलई" के रूड में प्रभलषतल कयल गल है ।

मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथल के प्रसर कल कररण:

- उदलसीन रवैयल:** कइ अधयनुँ में रलजुय सरकरलुँ दवलरल इस कुप्रथल कु सलमलप्त कर पलने में असफलतल कु सूवीकर न करनल और इसमें सुधलर के प्रयलसुँ की कमी कु एक बडुढ समस्यल बतलतल गल है ।
- आउटसुरस की समस्यल:** कइ स्थलनीय नकललयुँ दवलरल सीवर सफलई जैसे कररुयुँ के लयल नजलल ठेकेदलरुँ से अनुबंध कयल जलतल है परंतु इनमें से कइ फ्ललई-बलय-नलडुट ऑपरेटर" (Fly-By-Night Operator), सफलई करमचलरलयुँ के लयल उचतल दशल-नरलदेश एवं नयलमलवली कल प्रबंधन नही करते हैं ।
 - ऐसे में सफलई के दुरलरन कसलल करमचलरल की मृतुयु हने पर इन कंपनलयुँ यल ठेकेदलरुँ दवलरल मृतक से कसलल भी प्रकर कल संबंढ हने से इनकर कर दयल जलतल है ।
- सलमलजकल मुददल:** मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथल जलतल, वरूग और आय के वभलजन से प्रेरतल है ।
 - यह प्रथल भरत की जलतल वयवस्थल से जुडुढी हुई है, जहलुँ तथलकथतल नचलली जलतलयुँ से ही इस कलम कु करने की उमूढ की जलती है ।
 - "मैनुअल स्कैवेंजर्स कल रुजुगलर और शुषक शुकललय कल नरलमलण (नषलध) अधनलयलम, 1993" के तहत देश में हलथ से मैला ढोने की प्रथल कु प्रतलबलधतल कर दयल गल है, हललुकल इसके सलथ जुडुढ कलंक व भेदभलव अब भी जलरी है ।
 - इससे हलथ से मैला ढोने वललुँ के लयल वैकलपकल आजीवकल सुरकूषतल करनल मुशुकलल हु जलतल है ।

मैला ढोने की समस्यल से नपलटने हेतु उठलए गए कदम:

- हलथ से मैला उठलने वलले करमलयुँ के नयुडुजन कल प्रतलषलध और उनकल पुनरवलस (संशुधन) वधलयक, 2020:**
 - इसमें सीवर की सफलई कु पूरी तरह से मशीनीकृत करने, 'ऑन-सलडुट' सुरकूषल के उडलय करने और सीवर सफलई के दुरलरन होने वलली मुतुँ के मलमले में मैनुअल स्कैवेंजर्स कु मुआवजुल प्रदलन कयल जलने कल प्रसुतलव है ।
 - यह मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूड में **नयुडुजन कल प्रतलषलध** और उनकल पुनरवलस अधनलयलम, 2013 में संशुधन हुगल ।

- इसे अभी तक कैबिनेट से मंजूरी नहीं मली है ।
- हाथ से मैला उताने वाले कर्मियों के नयोजन का प्रतर्षिध और उनका पुनर्वास अधनियिम, 2013:
 - वर्ष 1993 के अधनियिम का स्थान लेते हुए वर्ष 2013 का अधनियिम सूखे शौचालयों पर प्रतर्षिध से परे है तथा यह अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों एवं गड्ढों आदि सभी की मैनुअल सफाई को अवैध बनाता है ।
- अस्वच्छ शौचालयों का नरिमाण और रखरखाव अधनियिम 2013:
 - यह अस्वच्छ शौचालयों के नरिमाण या रखरखाव तथा कर्षी को भी हाथ से मैला ढोने हेतु काम पर रखने के साथ-साथ सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को गैरकानूनी घोषति करता है ।
 - यह अन्याय और अपमान की कषतपूरति के रूप में हाथ से मैला ढोने वाले समुदायों को वैकल्पिक रोजगार तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिये एक संवैधानिक ज़मिमेदारी भी प्रदान करता है ।
- अत्याचार नवारिण अधनियिम:
 - वर्ष 1989 में अत्याचार नवारिण अधनियिम स्वच्छता संबंधी कार्यकर्त्ताओं के लिये एक समन्वति गारड बन गया । इस दौरान मैला ढोने वालों के रूप में कार्यरत 90% से अधिक लोग अनुसूचति जातिके थे । यह मैला ढोने वालों को नरिदषिट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबति हुआ ।
- सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती:
 - इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में विश्व शौचालय दविस (19 नवंबर) पर लॉन्च कया गया था ।
 - सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिये अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इसे एक 'चुनौती' के रूप में शुरू कया गया, इसके तहत यद कर्षी व्यक्तिको अपरहार्य आपात स्थति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित गयिर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान कये जाते हैं ।
- 'स्वच्छता अभयान एप':
 - इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान एवं जयिटेग करने हेतु वकिसति कया गया है, ताकि अस्वच्छ शौचालयों को सैनटिरी शौचालयों में बदला जा सके और सभी हाथ से मैला ढोने वालों को जीवन की गरमा प्रदान करने हेतु उनका पुनर्वास कया जा सके ।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लिये उन सभी लोगों की पहचान करना अनवार्य कर दया था, जो वर्ष 1993 से सीवेज के काम में मारे गए थे और प्रत्येक व्यक्तिके परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दये जाने का भी आदेश दया गया था ।

आगे की राह

- स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना: स्वच्छ भारत मशिन को 15वें वतित आयोग द्वारा सर्वोच्च प्राथमकता वाले कषेत्र के रूप में पहचाना गया और स्मार्ट शहरों एवं शहरी वकिस के लिये उपलब्ध धन के साथ हाथ से मैला ढोने की समस्या का समाधान करने के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान कया गया ।
- सामाजिक सुभेदयता: हाथ से मैला ढोने के पीछे की सामाजिक स्वीकृति को संबोधति करने के लिये पहले यह स्वीकार करना और समझना आवश्यक है किकैसे और कयों जातिव्यवस्था के कारण हाथ से मैला ढोना अभी भी जारी है ।
- राज्य और समाज को रुचिलेने की आवश्यकता: राज्य एवं समाज को इस मुद्दे में सकरयि रूप से रुचिलेने की ज़रूरत है और इस प्रथा का सही आकलन कर इसके उन्मूलन के लिये सभी संभावति वकिल्पो पर गौर करने की ज़रूरत है ।

वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: 'राष्ट्रीय गरमा अभयान' एक राष्ट्रीय अभयान है, जसिका उद्देश्य है: (2016)

- बेघर एवं नरिशरति व्यक्तियों का पुनर्वास और उन्हें आजीविका के उपयुक्त स्रोत प्रदान करना ।
- यौनकर्मियों को उनके अभ्यास से मुक्त करना और उन्हें आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना ।
- हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खतम करना और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना ।
- बंधुआ मज़दूरों को मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना ।

उत्तर: (c)

- राष्ट्रीय गरमा अभयान वर्ष 2001 में शुरू कया गया, मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और इस कार्य में संलग्न लोगों के लिये गरमापूरण जीवन सुनश्चिति करने हेतु यह एक राष्ट्रीय अभयान है । अतः वकिल्प (c) सही है ।

स्रोत: द हट्टि

